राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 73/2020

1. राजेन्द्र सिंह लोढा (मृतक)

   1/1 श्रीमती शकुंतका लोढा उर्फ शकुन्तला पत्नी स्व॰ श्री राजेन्द्र सिंह लोढा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शासन सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल भवन, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तौड़गढ़।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चित्तोडगढ खण्ड निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बडी सादडी, जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.02.2020
आदेश की दिनांक : 08.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल लाल आचार्य, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदे□ा

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक के पद पर दिनांक 08.08.1975 को वेतन श्रृंखला 66–90 प्रतिमाह की गई थी, अपीलार्थी की योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है। जिसके पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1976 के तहत दिनांक 08.08.1977 को वेतन श्रृंखला 248 रूपए प्रतिमाह तय की गई। आगे अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 16.04.1982 को के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नत किया जाकर सहायक प्रथम की वेतन श्रृंखला 250 से 336 देय की गई तथा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1983 के तहत दिनांक 01.09.1981 से आगामी वेतन श्रृंखला सहायक द्वितीय के पद पर 360 से 460 प्रदान की गई। आगे अपीलार्थी का यह कथन है कि पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1987 के तहत् दिनांक 01.09.1986 से वेतन श्रृंखला 720–1000 देते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 1989 के तहत दिनांक 01.

09.1988 से वेतन श्रृंखला 800 से 1250 देय की गई। जो लेखापुस्तिका (अनुलग्नक–1) से स्पष्ट है। पुनरीक्षित वेतनमान 1998 के तहत दिनांक 01.09.1996 के द्वारा अपीलार्थी को आगामी वेतन श्रृंखला 2650–4000 देते हुए 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाकर दिनांक 01.01.1998 से वेतन श्रृंखला 3050–4590 प्रदान की गई। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.09.1998 के द्वारा अपीलार्थी को पम्प चालक द्वितीय के पद की वेतन श्रृंखला देते हुए दो वर्ष की सेवापूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 08.08.2004 को आगामी वेतन श्रृंखला 4000–6000 प्रदान की गई। जो कि पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के तहत् ग्रेड पे 2400 देते हुए संशोधित वेतन स्थरीकरण दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड पे 2400 पर नियत किया गया। तथा दिनांक 01.07.2013 से परिवर्तित ग्रेड पे 2800 पर नियत किया गया (अनुलग्नक–2)। राज्य सरकार के आदेश 17–12–2014 की पालना में राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अन्तर्गत दिनांक 01–07–2013 से ग्रेड पे के फलस्वरूप एसीपी की अनुज्ञेयता के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाकर जिन कर्मचारियों को हेल्पर/सहायक के पद पर नियुक्ति वेतनमान 2650–4000 व 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान 305–4590 व 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 4000–6000 है। ऐसे कर्मचारियों को दिनांक 01–07–2013 से संशोधित वेतनमान में 2800 ग्रेड पे दे होगी एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर आगामी वेतन श्रृंखला 3600 ग्रेड पे देय होगी (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी द्वारा एक अभ्यावेदन पूर्व में दिनांक 15–02–2019 को ग्रेड पे 2800 रूपये के बजाय 3600 दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया था (अनुलग्नक–4)। उक्त आदेश की पालना मे अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 3600 ग्रेड पे देय नही की गई, जिससे व्यथित होकर एक विधिक नोटिस दिनांक 25–06–2019 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया गया। उक्त विधिक नोटिस की पालना में विभाग द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मय जवाब दिनांक 09–08–2019 को प्रेषित किया गया (अनुलग्नक–6)। उक्त जवाब के तहत 27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिनांक 08–08–2004 को 4000 से 6000 मूल वेतन 4000 पर वेतन निर्धारण किया गया, जबकि दिनांक 08–08–2004 से अपीलार्थी 5500–9000 की वेतन श्रृखला प्राप्त करने का अधिकारी था, जो अपीलार्थी को नही दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 2800 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर तृतीय एसीपी के रूप में 3600 ग्रेड–पे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा समस्त सेवालाभ एवं परिलाभ मय ब्याज सहित दिलाया जावे।

प्रस्तुत अपील लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सिंह लोढा की मृत्यु होने पर अपीलार्थी के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर अपीलार्थी के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिया जाने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी दिनांक 08.08.1975 को प्रत्यर्थी विभाग में जल परियोजना निम्बाहेडा, चित्तौडगढ़ में गार्ड के रूप में वेतनमान 66–90 की सेवा का हकदार है। अपीलार्थी को दिनांक 16.04.1982 को सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। अधिसूचना दिनांक 01.07.2013 के अनुसार कर्मचारियों को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति वेतन चयन वेतनमान 4000–6000 ग्रेड पे 2800/– अनुमत किया गया, जो सही है। अधिसूचना दिनांक 01.07.2013 के अनुसार कर्मचारियों को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति वेतन चयन वेतनमान 4000–6000 ग्रेड पे 3600/– अनुमत किया गया, जो सही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी अभ्यावेदन नियम के अनुसार और समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिए थे। अपीलार्थी को 09, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर नियमों के अनुसार सभी चयनित वेतनमान प्रदान किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक के पद पर दिनांक 08.08.1975 को वेतन श्रृंखला 66–90 प्रतिमाह की गई थी, जिसके पश्चात् पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1976 के तहत दिनांक 08.08.1977 को वेतन श्रृंखला 248 रूप्ए प्रतिमाह तय की गई। आगे अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 16.04.1982 को के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नत किया जाकर सहायक प्रथम की वेतन श्रृंखला 250 से 336 देय की गई तथा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1983 के तहत दिनांक 01.09.1981 से आगामी वेतन श्रृंखला सहायक द्वितीय के पद पर 360 से 460 प्रदान की गई। आगे अपीलार्थी का यह कथन है कि पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1987 के तहत् दिनांक 01.09.1986 से वेतन श्रृंखला 720–1000 देते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान 1989 के तहत दिनांक 01.09.1988 से वेतन श्रृंखला 800 से 1250 देय की गई। आगे कथन है कि पुनरीक्षित वेतनमान 1998 के तहत दिनांक 01.09. 1996 के द्वारा अपीलार्थी को आगामी वेतन श्रृंखला 2650–4000 देते हुए 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाकर दिनांक 01.01.1998 से वेतन श्रृंखला 3050–4590 प्रदान की गई। आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01. 09.1998 के द्वारा अपीलार्थी को पम्प चालक द्वितीय के पद की वेतन श्रृंखला देते हुए दो

वर्ष की सेवापूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 08.08.2004 को आगामी वेतन श्रृंखला 4000–6000 प्रदान की गई। जो कि पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के तहत् ग्रेड पे 2400 देते हुए संशोधित वेतन स्थरीकरण दिनांक 01.01. 2006 से ग्रेड पे 2400 पर नियम किया गया। तथा दिनांक 01.07.2013 से परिवर्तित ग्रेड पे 2800 पर नियत किया गया। इस संबंध मे अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 15.02.2019 (अनुलग्नक–4) को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को ग्रेड पे 2800 के बजाए 3600 प्रदान किया जावे। आगे कथन है कि 27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 08.08.2004 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 4000–6000 मूल वेतन 4000 पर निर्धारित किया गया, जबकि दिनांक 08.08.2004 से अपीलार्थी 5500–9000 वेतन श्रृंखला प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.06.2015 (अनुलग्नक–5) निम्नानुसार है:–

''उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित है कि दिनांक 17.12.2014 के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि एसीपी नियमों में तृतीय एसीपी के कारण ग्रेड पे की विसंगति को दूर किए जाने का प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों की ग्रेड पे दिनांक 01.07.2013 से संशोधन किये जाने के दृष्टिगत रखते हुए वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 के द्वारा संशोधित ग्रेड पे का स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जो कि वर्कचार्ज कर्मचारियों की ग्रेड पे संशोधन किये जाने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 10.07.2013 के संबंध में भी लागू है। जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों को चयनित वेतनमान व एसीपी स्वीकृत की गई है उन प्रकरणों में दिनांक 01.07.2013 से संशोधित ग्रेड पे के अनुसार चयनित वेतनमान/एसीपी के अनुरूप (Corresponding) ग्रेड पे दये होगी तथा आगामी एसीपी देय होने पर ग्रेड पे के क्रम में अगली उच्चतम ग्रेड पे नियमनुसार देय होगी।

1. एक वर्क चार्ज हेल्पर जिसकी दिनांक 01.07.2013 से पूर्व 9 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई है उसे दिनांक 01.07.2013 या इसके पश्चात 9, 18 व 27 वर्ष को सेवा पूर्ण करने पर एसीपी का लाभ वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 के अनुसार देय होगा।

2. एक वर्क चार्ज कर्मचारी जिनकी हैल्पर के पद पर नियुक्ति वेतनमान 2650–4000 व 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान 3050–4590 व 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 4000–6000 प्राप्त है। ऐसे कर्मचारी की दिनांक

01.07.2013 से संशोधित ग्रेड पे के अनुसार ग्रेड पे रुपये 2800/– देय होगी तथा तृतीय ए.सी.पी. देय होने पर ग्रेड पे रुपये 3600/– देय होगी।

3. एक वर्क चार्ज कर्मचारी जो कि हैल्पर के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1889 के वेतनमान में वेतनमान 800–1250 प्राप्त कर रहा था। प्रथम चयनित वेतनमान 3050–4590 (RCS (RP) Rules, 2008 में ग्रेड पे रूपये 2400 w.e.f 01–07–2013) द्वितीय चयनित वेतनमान 4000–6000 (RCS (RP) Rules, 2008 में ग्रेड पे रूपये 2800 w.e.f 01–07–2013) तथा तृतीय चयनित वेतनमान 4000–6000 (RCS (RP) Rules, 2008 में ग्रेड पे रूपये 2800 w.e.f 01–07–2013) प्राप्त कर रहा था दिनांक 01.07.2013 से संशोधित की गई ग्रेड पे के क्रम मं ग्रेड पे रुपये 3600/– देय होगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या 211500264 दिनांक 16.06.2015 से प्राप्त सहमती के अनुसरण में जारी की गई है।''

उक्त पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि तृतीय चयनित वेतनमान में ग्रेड पे 2800 प्राप्त कर रहा था दिनांक 01.07.2013 से संशोधित की गई ग्रेड पे के क्रम में ग्रेड पे रुपये 3600/– देय होगी। अतः 27 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने पर विभागीय पत्र दिनांक 17.06.2015 (अनुलग्नक–5) के क्रम में ग्रेड पे 3600 स्वीकृत होगा।

अतः इस क्रम में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.06.2015 (अनुलग्नक–5) के क्रम में अपीलार्थी को नियमानुसार परिक्षण द्वितीय चयनित वेनतमान में संशोधित ग्रेड पे के अनुसार रुपए 2800/– एवं तृतीय चयनित वेतनमान में 3600/– की ग्रेड पे स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावे। यह कार्यवाही प्रत्यर्थी विभाग आगामी 3 माह में निष्पादित करेगा।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य